रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 265] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 25, 2001/ज्येष्ठ 4, 1923
No. 265] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 25, 2001/JYAISTHA 4, 1923

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2001

सा.का.नि. 386(अ)— केंद्रीय सरकार, रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 54) की धारा 30 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) और धारा 30(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ता तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ता तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2001 है.

(2) ये 1 जनवरी, 1996 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे.

2. रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ता तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1989 के नियम 8 में उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा अर्थात् :-

"(2) उप-नियम (1) के अधीन पेंशन सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए चार हज़ार सात सौ सोलह रुपए प्रतिवर्ष की दर से संगणित की जाएगी तथा अधिकरण में सेवा के वर्षों की संख्या पर ध्यान दिए बिना पेंशन की अधिकतम रकम तेइस हज़ार पांच सौ अस्सी रुपए से अधिक

नहीं होगी किंतु यह इस शर्त के अधीन होगा कि इस नियम के अधीन संदेय पेंशन की कुल रकम, ऐसी किसी पेंशन की रकम सहित जिसके अंतर्गत ऐसी पेंशन, यदि कोई हो, का संराशित भाग भी है, जो अधिकरण में पद धारण करते हुए प्राप्त किया गया है या जिसे प्राप्त करने का वह हकदार है, एक लाख छप्पन हज़ार रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी."

स्पष्टीकरण ज्ञापन

5वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को संदेय पेंशन की पुनरीक्षण को ध्यान में रखते हुए अधिकरण के सेवानिवृत्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को संदेय पेंशन को, 1 जनवरी, 1996 से अर्थात् उस तारीख से जिसको केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की पेंशन पुनरीक्षित की गई है, पुनरीक्षित करने का विनिश्चय किया गया है. अतः यह आवश्यक है कि रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ता तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1989 के नियम 8 के उप नियम(2) को 1 जनवरी, 1996 से संशोधित किया जाए. यह प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वोक्त संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से किसी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा.

[सं. 94/टीसी(आरसीटी)/2-2/पार्ट]

पद्माक्षी रहेजा, कार्यपालक निदेशक, जन शिकायत, रेलवे बोर्ड

पाद टिप्पणी :—मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. साकानि 844 (अ) तारीख 19 सितंबर, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना सं. सा.का.नि. 726(अ) तारीख 6 दिसंबर, 1991, सा.का.नि. 185 (अ) तारीख 11 अप्रैल, 1996 और सा.का.नि. 733 (अ) 21 सितंबर, 2000 द्वारा संशोधित किए गए.

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2001

G.S.R. 386(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(i), read with clause (b) of sub.-section (2) of section 30 and section 30A, of the Railway Claims Tribunal Act, 1987(54 of 1987), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railway Claims Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1989, namely :-

1. (1) These rules may be called the Railway Claims Tribunal (Salaries and

Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment, Rules, 2001.

(2) They shall be deemed to have come into force on the Ist day of January,1996.

2. In the Railway Claims Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules,1989, in Rule 8, for sub-rule (2), the following sub-rule be substituted, namely.-

"(2) Pension under sub-rule (1)shall be calculated at the rate of four thousand seven hundred and sixteen per annum for each completed year of service and irrespective of the number of years of service in the Tribunal, the maximum pension shall not exceed rupees twenty three thousand five hundred and eighty, subject to the condition that the aggregate amount of pension payable under this rule, together with the amount of any pension payable under this rule, together with the amount of any pension including commuted portion of pension, if any, drawn or entitled to be drawn, while holding office in the Tribunal shall not exceed rupees one lakh and fifty six thousand per annum."

Explanatory Memorandum

In view of revision of pension payable to retired Central Government employees as a result of implementation of recommendations of the 5th Central Pay Commission, it has been decided to revise the pension payable to the retired Chairman, Vice-Chairman and Members of the Tribunal with effect from the 1st January, 1996, i.e. the date from which the pension payable to the Central Government employees has been revised. It is, therefore, necessary to amend sub-rule (2) of rule 8 of the Railway Claims Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1989 with effect from the 1st January ,1996. It is certified that none will be adversely affected by the aforesaid amendment being given retrospective effect.

[No. 94/TC(RCT)/2-2/Pt.]

PADMAKSHI RAHEJA, Executive Director, Public Grievances, Railway Board.

Footnote:— The Principal rules were published in the Gazette of India vide notification No. GSR. 844(E) dated 19th September, 1989 and subsequently amended by notification No.GSR.726(E) dated 6th December1991, GSR 185(E) dated 11th April1996 and GSR 733(E) dated 21st September 2000.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
lished by the Controller of Publications, Delhi-110054